भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 3882
दिनांक 11 अगस्त, 2026 के लिए उत्तर

राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा

3882. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डीः

श्रीमती बिजुली कलिता मेधीः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के अंतर्गत बीमाकृत पशुधन की राज्य-वार संख्या कितनी है और नवीनतम पशुधन गणना के अनुसार पशुधन आबादी कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान प्रीमियम-साझाकरण पैटर्न में किए गए किसी भी बदलाव सहित पशुधन बीमा प्रीमियम पर राजसहायता देने में केंद्र और राज्य सरकारों के राजकोषीय योगदान का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह आकलन किया है कि मिशन के उद्यमिता घटकों के अंतर्गत अपने कार्यों का विस्तार करने वाले किसानों और उद्यमियों के लिए मौजूदा प्रति-परिवार बीमा राजसहायता सीमा अपर्याप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रकार की सीमा मिशन के अंतर्गत परिकल्पित पशुधन उद्यमों के विस्तार को हतोत्साहित कर सकती है;

(ङ) क्या सरकार अपने पशुधन उद्यमों का विस्तार करने वाले उद्यमियों के लिए बीमा कवरेज को अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से, पशु समूह के आकार के संबंध में मौजूदा राजसहायता सीमा से अधिक राजसहायता बढ़ाने या पशुधन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी के बोझ को कम करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या देश में पशुचिकित्सा अवसंरचना और सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कोई नियोजित वित्तीय परिव्यय तय किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में बीमा किए गए पशुओं की राज्य-वार संख्या अनुबंध-I में दी गई है। 20वीं पशुधन गणना के अनुसार राज्यवार पशुधन आबादी अनुबंध II में दी गई है।

पशुधन बीमा को और किफायती बनाने तथा उसकी कवरेज को बढाने के लिए सरकार ने मार्च, 2024 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत लाभार्थी के हिस्से और प्रति परिवार पशु सीमा में संशोधन किया गया है। इन परिवर्तनों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

मापदंड	मार्च, 2024 से पहले	मार्च, 2024 के बाद

लाभार्थी का हिस्सा	श्रेणी तथा आवास स्थान के आधार पर 20%-50% (APL, BPL, SC, ST) ब्योरा अनुबंध- III पर दिया गया है।	श्रेणी और आवास के स्थान पर ध्यान दिए बिना सभी के लिए एक समान 15%
प्रति परिवार बीमा किए जाने वाले पशुओं की संख्या	5 गोपशु इकाई (1 गोपशु इकाई =1 बड़ा पशु/10 छोटे पशु)	10 गोपशु इकाई, सिवाय सूअर और खरगोश के, जिसके लिए यह 5 गोपशु इकाई है

प्रीमियम के शेष हिस्से को केंद्र तथा राज्य के बीच साझा किया जाता है। सामान्य राज्यों के लिए यह हिस्सेदारी 60:40 और हिमालयीय तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में है। केंद्र सरकार सभी संघ राज्य क्षेत्रों को 100% सहायता प्रदान करती है। पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष, अर्थात, वित्तीय वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 के दौरान पशुधन बीमा के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी राज्य-वार निधि का ब्यौरा अनुबंध-IV में दिया गया है।
इसके अलावा, उद्यमियों के लिए सरकार NLM उद्यमिता विकास कार्यक्रम (NLM-EPD) के अंतर्गत भेड़, बकरी, सूअर, ऊँट, घोड़े और गधे की नस्ल के विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए पशुधन बीमा घटक पर 50% तक की सब्सिडी प्रदान कर रही है।

NLM योजना के अंतर्गत पशुधन के लिए बीमा प्रीमियम पर कोई GST नहीं है। योजना के अंतर्गत GST पर यह छूट, लाभार्थियों के लिए प्रीमियम को और किफायती बनाती है।

(च) भारत सरकार, देश में पशुचिकित्सा अवसंरचना और सेवाओं को सुदृढ़ करने तथा उन्हें आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं। ये योजनाएं राज्य सरकारों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रयासों में सहायता कर रही हैं। इनमें पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LHDCP), राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM), पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) शामिल हैं।
LHDCP के अंतर्गत रोग नियंत्रण, टीकाकरण, निगरानी, रोग निदान तथा पशुचिकित्सा अस्पतालों, औषधालयों तथा प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। RGM के अंतर्गत, गोपशु और भैंस के लिए प्रजनन अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इनमें सीमन केंद्र, इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) प्रयोगशालाएं तथा सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन सुविधाएं शामिल हैं। ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAITRI) किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाएं प्रदान करते हैं।

NLM के अंतर्गत उद्यमियों को भेड़, बकरी, सूअर, ऊँट, घोड़ा, गधा एवं कुक्कुट के आधुनिक प्रजनन फार्म स्थापित करने तथा पशु आहार एवं चारा संबंधी अवसंरचना विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।NLM में प्रजनन अवसंरचना के लिए भी सहायता दी जाती है, जिसमें सीमन केंद्रों, सीमन बैंकों की स्थापना भी शामिल है। NLM के अंतर्गत प्रजनन अवसंरचना को भी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सीमन स्टेशनों एवं सीमन बैंकों की स्थापना तथा मौजूदा गौ एवं भैंस कृत्रिम गर्भाधान (AI) केंद्रों के माध्यम से भेड़ एवं बकरी में कृत्रिम गर्भाधान (AI) सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल है।
AHIDF के अंतर्गत डेयरी, मांस, फीड, प्रजनन तथा अन्य पात्र पशुधन अवसंरचना में निवेश के लिए टर्म लोन पर **3% ब्याज अनुदान (Interest Subvention)** प्रदान किया जाता है। **NPDD** के अंतर्गत दूध खरीद, दुग्ध शीतलीकरण, प्रसंस्करण एवं गुणवत्ता परीक्षण जैसी डेयरी अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इन योजनाओं के लिए धनराशि संबंधित स्वीकृत बजट के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है और योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

अनुबंध –I
लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या: 3882
संसद सदस्य का नाम: श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी
श्रीमती बिजुली कलिता मेधी
उत्तर दिए जाने की तारीख: 11.08.2026

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में बीमित पशुधन की राज्यवार संख्या (संख्या में)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26
1.	आंध्र प्रदेश	283258	140584	44886
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	4555
3.	असम	0	530	153
4.	बिहार	0	0	3496
5.	छत्तीसगढ़	0	10236	11669
6.	गोवा	99	47	0
7.	गुजरात	0	248000	258000
8.	हरियाणा	317708	456186	210659
9.	हिमाचल प्रदेश	4249	96660	2479
10.	झारखंड	0	45132	0
11.	कर्नाटक	4450	166872	117356
12.	केरल	0	55061	23374
13.	मध्य प्रदेश	69975	105246	103057
14.	महाराष्ट्र	0	2840	535
15.	मणिपुर	0	300	0
16.	मेघालय	0	5523	0
17.	मिजोरम	746	0	0
18.	नागालैंड	0	2000	12378
19.	ओड़िशा	42945	90393	123194
20.	पंजाब	0	108659	30737
21.	राजस्थान	8349	950	16853
22.	सिक्किम	0	2636	2194
23.	तमिलनाडु	0	167803	89235
24.	त्रिपुरा	0	8505	2156
25.	तेलंगाना	0	0	12653
26.	उत्तराखंड	126843	437838	66755
27.	उत्तरप्रदेश	89084	376209	177231
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	कुल	**947706**	**2528210**	**1313605**

अनुबंध II

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या: 3882

संसद सदस्य का नाम: श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी

श्रीमती बिजुली कलिता मेधी

उत्तर दिए जाने की तारीख: 11.08.2026

20वीं पशुधन गणना के अनुसार राज्यवार पशुधन आबादी निम्नलिखित है:

क्र. सं.	**राज्य**	**पशुधन आबादी**
1.	आंध्र प्रदेश	34067616
2.	अरुणाचल प्रदेश	1161428
3.	असम	18092201
4.	बिहार	36540820
5.	छत्तीसगढ़	15872302
6.	गोवा	132406
7.	गुजरात	26893274
8.	हरियाणा	7046091
9.	हिमाचल प्रदेश	4412846
10.	झारखंड	23614545
11.	कर्नाटक	29013412
12.	केरल	2908657
13.	मध्य प्रदेश	40637375
14.	महाराष्ट्र	33079818
15.	मणिपुर	550719
16.	मेघालय	2039103
17.	मिजोरम	359704
18.	नागालैंड	553803
19.	ओड़िशा	18170309
20.	पंजाब	7050355
21.	राजस्थान	56800945
22.	सिक्किम	274332
23.	तमिलनाडु	24500621
24.	त्रिपुरा	1317892
25.	तेलंगाना	32640639
26.	उत्तराखंड	4427089
27.	उत्तरप्रदेश	68012945
28.	पश्चिम बंगाल	37483238
	कुल	**527654485**

अनुबंध III

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या: 3882
संसद सदस्य का नाम: श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी
श्रीमती बिजुली कलिता मेधी
उत्तर दिए जाने की तारीख: 11.08.2026

मार्च 2024 में दिशा निर्देशों में संशोधन से पहले लाभार्थियों और स्थानों की विभिन्न श्रेणियों पर लागू लाभार्थी का हिस्सा, नीचे दिया गया है:

श्रेणी/स्थान	**सामान्य क्षेत्र**	**पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER)/हिमालयीय क्षेत्र**	**संघ राज्य क्षेत्र**
BPL / SC / ST	30%	20%	20%
APL	50%	40%	40%

क्षेत्रों के प्रकार की परिभाषा:

i. पूर्वोत्तर क्षेत्र: सात पूर्वोत्तर राज्य और सिक्किम।
ii. हिमालयीय क्षेत्र: जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश।
iii. सामान्य क्षेत्र: वे सभी क्षेत्र जो उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

BPL: गरीबी रेखा से नीचे
SC: अनुसूचित जाति
ST: अनुसूचित जनजाति
APL: गरीबी रेखा से ऊपर

अनुबंध-IV
लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या: 3882
संसद सदस्य का नाम: श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी
श्रीमती बिजुली कलिता मेधी
उत्तर दिए जाने की तारीख: 11.08.2026

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पशुधन बीमा के लिए राज्य सरकार को जारी की गई राज्यवार केंद्रीय निधि निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	(लाख रुपये में)		
		वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26
1	आंध्र प्रदेश	708.55	391.5	125
2	अरुणाचल प्रदेश	0	9.73	0
3	असम	0	0	0
4	बिहार	0	0	0
5	छत्तीसगढ़	12.3	50	57
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	155	100	225
8	हरियाणा	407.25	975	571
9	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10	झारखंड	0	0	0
11	कर्नाटक	200	125	50
12	केरल	0	50	25
13	मध्य प्रदेश	350	493.5	568.24
14	महाराष्ट्र	0	0	0
15	मणिपुर	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	125.05
18	नागालैंड	0	22	216
19	ओड़िशा	0	250	235
20	पंजाब	0	0	0
21	राजस्थान	0	0	0
22	सिक्किम	0	51.8	43.13
23	तमिलनाडु	0	150	100
24	त्रिपुरा	0	0	25
25	तेलंगाना	0	0	207.78
26	उत्तराखंड	100	527.5	225
27	उत्तरप्रदेश	196.48	305.5	667.75
28	पश्चिम बंगाल	0	0	0
कुल		2129.58	3501.53	3465.95